05 OCT 2023

05 OCT 2023

जनपद जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 1161 दिनांक 05/10/023

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर, जिला नैनीताल।

पत्र संख्या 487/एस०पी०ए०/2023-24 दिनांक: 30/09/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय: कु० नाजिया पुत्री मौ. अख्तर निवासी– मौहल्ला कार्बेट नगर, पुछडी रामनगर, जिला नैनीताल की शिकायत के सम्बन्ध में।

प्रभारी अधिकारी
उप जिलाधिकारी

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–228/20–न्या.सहा./2023, दिनांक 21 अगस्त, 2023 एवं मा. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, के पत्र संख्या–579/उ.अ.आ./37–कु. नाजिया/नैनीताल/2023–24, दिनांक 20–09–2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शिकायतकर्ता कु० नाजिया पुत्री मौ. अख्तर निवासी– मौहल्ला कार्बेट नगर, पुछडी रामनगर के शिकायती पत्र के प्रकरण में शिकायतकर्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार रामनगर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार रामनगर की आख्यानुसार प्रकरण में समय आख्या उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार रामनगर द्वारा सम्बन्धित रा.नि./एम.जे. का स्पष्टिकरण प्राप्त किया गया। (संलग्न) प्रार्थिनी नाजिया पुत्री मौ. अख्तर निवासी– मौहल्ला कार्बेट नगर, पुछडी रामनगर जिला नैनीताल से सम्पर्क करने पर प्रार्थिनी द्वारा अपना आवेदन पत्र दिनांक 29–09–2023 के क्रम में आवश्यक अभिलेख (स्थाई प्रमाण पत्र, टी.सी. पूर्व का बना बहन का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मौल्वी/स्वतंत्र गवाहो के बयान, शपथ पत्र, विद्युत बिल, पहचान पत्र) संलग्न किये गये। प्रार्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो का अवलोकन करने उपरान्त प्रार्थिनी कु० नाजिया पुत्री मौ. अख्तर निवासी– मौहल्ला कार्बेट नगर, पुछडी रामनगर जिला नैनीताल कि स्थाई निवासी है जिनका धर्म मुस्लिम है जो अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत आती है। इस कार्यालय के पत्रांक–1037/जनाधार/2023–24, दिनांक सितम्बर, 2023 के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राहुल शाह)
उप जिलाधिकारी,
रामनगर।

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मा0 सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून को उनके संख्या–579/उ.अ.आ./37–कु. नाजिया/नैनीताल/2023–24, दिनांक 09–08–2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– राजस्व निरीक्षक, तहसील रामनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में अधोहस्ताक्षरी की ओर से अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि रूप में नियत तिथि पर सुनवाई हेतु मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी,
रामनगर।